क्रम-संख्या--460

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग---1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 31 अगस्त, 1994

भाद्रपद 9, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 1328/सत्रह-वि-1-1 (क) 29-1994

लखनऊ, 31 अगस्त, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग विधेयक, 1994 पर दिनांक 27 अगस्त, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994)

[(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)]

उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं

2--इस अधिनियम में--

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग से है;

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है;

(घ) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में अधिसूचित किसी समुदाय से है ।

अध्याय-दो

आयोग

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन

3--(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जायगा ।

(2) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और छः सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे :

परन्तु अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में के होंगे ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

4--(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष के या सदस्य के पद से किसी समय पद त्याग कर सकता है ।

(3) सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति--

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है ;

(ख) किसी अपराध के लिये, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडित किया जाता है ;

(ग) विकृतचित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है;

(घ) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है ;

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित होता है;

(च) सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित के लिए हानिकर हो गया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन नहीं हटाया जायगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस मामले में सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम-निर्देशन द्वारा भरा जायगा ।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं ।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

5--(1) सरकार इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आयोग के लिए एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की, जो आवश्यक हो, व्यवस्था करेगी।

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

वेतन और भत्ते का अनुदानों से दिया जाना

6--अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जाएगा।

रिक्तियां इत्यादि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेंगी

7--आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी।

आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना

8--(1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर, जैसा अध्यक्ष, उचित समझे, अपनी बैठक करेगा।

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त सचिव द्वारा सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय तीन

आयोग के कृत्य

आयोग के कृत्य

9--(1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्--

(क) उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ख) संविधान और राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षोपाय के कार्यकरण का अनुश्रवण करना;

(ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना;

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपाय से वंचित किये जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना;

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना;

(छ) किसी अल्पसंख्यक के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना;

(ज) सरकार को अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित किसी विषय और विशेषकर उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के संबंध में नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना; और,

(झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

(2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों को, सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

(3) आयोग को उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में वह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित हैं और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में, अर्थात्:--

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

अध्याय चार

वित्त लेखा और लेखा-परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान

10--(1) सरकार, राज्य विधान मन्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिए अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायगा।

लेखा और लेखा-परीक्षा

11--(1) आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करवायेगा जैसा सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

(2) लेखों के वार्षिक विवरण और बैलेन्स शीट की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायगी जो उनकी लेखा-परीक्षा करायेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट

12--आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रपत्र में, और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुये अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा ।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

13--सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उनमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हों, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वृन्द लोक सेवक होंगे

14--आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्न्तगत लोक सेवक समझा जायगा ।

शास्ति

15--जो कोई धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुये, उस आदेश या निदेश की अवज्ञा करे, यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायगा ।

अपराध का संज्ञान

16--कोई न्यायालय धारा 15 में विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

नियम बनाने की शक्ति

17--(1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित, समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :-

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों, और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन कोई अन्य मामला ;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण रखा जायगा;

(घ) रूप जिसमें और समय जिस पर धारा 12 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी ;

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाय ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं, लागू होंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति

19—(1) उत्तर प्रदेश अल्प-संख्यक आयोग अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव ।

No. 1328 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 29/1994

Dated; Lucknow, August 31, 1994

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Alpa Sankhyak Ayog Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1994) as passed by the Utttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 1994.

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR MINORITIES ACT, 1994

[U.P. ACT NO. 22 OF 1994]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to constitute a Commission for Minorities in Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fortyfifth year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER—I

Preliminary

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definitions

In this Act,—

(a) "Commission" means the Uttar Pradesh Commission for Minorities constituted under section 3;

(b) "Government" means Government of Uttar Pradesh;

(c) "Member" means a Member of the Commission;

"Minority" for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Government.

CHAPTER—II

The Commission

Constitution of the Uttar Pradesh Commission for Minorities.

3. (1) The Government shall constitute a body to be known as the Uttar Pradesh Commission for Minorities to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Commission shall consist of a Chairman and six Members to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman :

Provided that five Members including the Chairman shall be from amongst the minority communities.

Term of office and conditions of service of Chairman and Members

4. (1) The Chairman and every Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office.

(2) The Chairman or a Member may, by writing under his hand addressed to the Government, resign from the office of the Chairman or, as the case may be, of the Member at any time.

(3) The Government shall remove a person from the office of the Chairman or a Member referred to in sub-section (2) if that person—

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court ;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absents from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the Government, so abused the position of the Chairman or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of minorities or the public interest :

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

5. (1) The Government shall provide the Commission with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions service of, the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grants

6. The salaries and allowances payable to the Chairman and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 10.

Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Procedure to be regulated by the Commission

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairman may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

CHAPTER—III

Functions of the Commission

Functions of the Commission

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely :—

(*a*) evaluate the progress of the development of minorities in Uttar Pradesh;

(*b*) monitor the working of the safeguards in respect of minorities provided in the Constitution and in laws enacted by the State Legislature;

(*c*) make recommendations for the effective implementation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the Government;

(*d*) look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the minorities and take up such matters with the appropriate authorities;

(*e*) cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal;

(*f*) conduct studies, research and analysis on the issues relating to socio-economic and educational development of minorities;

(*g*) suggest appropriate measures in respect of any minority to be undertaken by the Government;

(*h*) make periodical or special reports to the Government on any matter pertaining to minorities and in particular difficulties confronted by them; and,

(*i*) any other matter which may be referred to it by the Government.

(2) The Government shall cause the recommendations referred to in clause (*c*) of sub-section (1) to be laid before each house of State Legislature alongwith a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(3) The Commission shall, while performing any of the functions mentiond in clauses (*a*), (*b*) and (*d*) of sub-section (1), have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely :—

(*a*) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(*b*) requiring the discovery and production of any document;

(*c*) receiving evidence on affidavits ;

(*d*) requisitioning any public record or copy thereof from any Court or office;

(*e*) issuing commissions or the examination of witnesses and documents; and,

(*f*) any other matter which may be prescribed.

CHAPTER—IV

Finance, Accounts and Audit

Grant by the Goverement

10. (1) The Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

Accounts and audit

11. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevent records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such form as may be specified by the Government by general or special order in this behalf.

(2) A copy of the annual statement of accounts and the balance-sheet shall be submitted to the Government which shall cause the same to be audited.

Annual Report

12. The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Government.

Annual Report and audit report to be laid before State Legislature

13. The Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, and the reason for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations and the audit report to be laid as soon as possible after the reports are received, before each House of the State Legislature.

CHAPTER—V

Miscellaneous

Chairman, members and staff of the Commission to be public servants

14. The Chairman, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Penalty

15. Whoever, being legally bound to obey any order or direction of the Commission under sub-section (3) of section 9, disobeys such order or direction shall, be punishable under sections 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of the Indian Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) as the case may be.

Cognizance of Offence

16. (1) No Court shall take cognizance of the offences specified in section 15 except on the complaint in writing of the Chairman or a Member or of an officer of the Commission authorised in this behalf by the Commission.

Power to make rules

17. (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely—

(*a*) Salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of, the Chairman and Members under sub-section (5) of section 4 and of officers and other employees under sub-section (2) of section 5;

(*b*) any other matter under clause (*f*) of sub-section (3) of section 9;

(*c*) the form in which the annual statement of accounts shall be maintained under sub-section (1) of section 11;

(*d*) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 12;

(*e*) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

Power to remove difficulties

18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the Government under any Uttar Pradesh Act.

Repeal and savings

19. (1) The Uttar Pradesh Commission for Minorities Ordinance, 1994 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

N. K. NARANG,

Sachiv.

उ० प्र० अधिनियम सं० 23 सन् 1999

उत्तर प्रदेश अधिनियम

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का आगे संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1999 संक्षिप्त नाम कहा जायगा।

Ordinance (3)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 4 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) (क) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपने पद धारण करने के दिनांक से, एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध, ऐसे अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पर भी जिसने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ के पूर्व अपना पद धारण किया हो, लागू होंगे।

(ग) ऐसे अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की, जिसने अपने पद धारण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व पूरी कर ली हो, पदावधि ऐसे प्रारम्भ पर समाप्त हो जायगी।

ordinance

(3)

क्रम-संख्या—61 (क—1)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 जून, 2001

ज्येष्ठ 18, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1343/सत्रह—वि—1—2 (क)13/2001

लखनऊ, 8 जून, 2001

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2001) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2001)

(भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 4 में, उपधारा (1) में, अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 की धारा 4 का संशोधन

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात :—

"(क) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ;

परन्तु अध्यक्ष या अन्य सदस्य 68 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा।"

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रखा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(घ) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 द्वारा यथासंशोधित खण्ड (क) के उपबन्ध, ऐसे अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे जो उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करते थे।

(ङ) ऐसा अध्यक्ष या अन्य सदस्य, जिसने खण्ड (घ) में निर्दिष्ट अध्यादेश के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ऐसे प्रारम्भ पर इस रूप में पद पर नहीं रहेगा।"

विष्णुकांत शास्त्री,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1343 (2)/XVII-V-1—2 (KA)13-2001

Dated Lucknow, June 8, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Alpsankyak Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2001 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 13 of 2001) promulgated by the Governor:

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR MINORITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2001

(U.P. ORDINANCE NO. 13 OF 2001).

(Promulgated by the Governor in the Fifty-second Year of the Republic of India)

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Ordinance, 2001.

Amendment of Section 4 of U.P. Act No. 22 of 1994

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994, in sub-section (1),—

(a) for clause *(a)* the following clause shall be *substituted*, namely :—

"*(a)* The Chairman or every other Member shall hold office *for* a term of one year from the date he assumes office :

Provided that no Chairman or other Member shall hold office as such *after* he has attained the age of sixty-five years ;

Provided further that the Chairman shall not be eligible for reappointment as Member."

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 4 में, उपधारा (1) में,—

(क) खण्ड (क) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेगें;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004" रख दिये जायेगें।

(ग) खण्ड (ङ) निकाल दिया जायगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा-4 में यह व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की उक्त अवधि, अधिकाधिक प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की सेवाओं से आयोग को लाभान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष तक बढ़ाने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाए जिससे कि उक्त आयोग को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

हाजी याकूब कुरैशी,
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
अल्पसंख्यक कल्याण।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994

धारा 4–(1) (क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(क) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु अध्यक्ष या अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा।"

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(घ) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित खण्ड (क) के उपबन्ध, ऐसे अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करते थे।

(ङ) ऐसा अध्यक्ष या अन्य सदस्य, जिसने खण्ड (घ) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ऐसे प्रारम्भ पर इस रूप में पद पर नहीं रहेगा।"

पी०–ए० पी० 107 सा० विधा०–2-8-2004–(717)–2004–1,000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

क्रम-संख्या-142

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी0-11/लाई0-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 15 जून, 2007

ज्येष्ठ 25, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 863/79-वि-1-07-02(क) 11-2007

लखनऊ 15 जून, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2007) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश , 2007

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2007)

[भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—22 सन् 1994 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

(2) आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से प्रत्येक से दो सदस्य और महिलाओं में से तीन सदस्य होंगे।"

धारा-4 का संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा 4 में,

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी,

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।"

(ख) उपधारा (2) में शब्द "अध्यक्ष", जहां भी आया हो, के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

(घ) उपधारा-(5) में शब्द "अध्यक्ष और सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा-6 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-6 में शब्द "अध्यक्ष एवं सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा-14 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा-14 में, शब्द "अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्यों और कर्मचारियों" रख दिये जायेंगे।

धारा-16 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-16 में शब्द "अध्यक्ष या सदस्य" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा-17 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा-17 में उपधारा-(2) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष और सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों" रख दिये जायेंगे।

टी० वी० राजेश्वर,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 863/79-V-1-2(Ka) 11-2007
Dated Lucknow, June 15, 2007

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Alp Sankhy Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2007 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 16 of 2007) promulgated by th Governor:-

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR MINORITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2007

(U.P. Ordinance No. 10 of 2007)

[Promulgated by the Governor in the Fifty-eighth Year of the Republic of India]

AN
ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

क्रम सं० 326

रजिस्ट्रेशन नम्बर एस०एस०पी०/ एल०
डब्लू०/ एन०पी० 91 /2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2013

अग्रहायण 29, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1327/79-वि-1-13-1(क)-20-2013

लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 20 नवम्बर, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (जिसे आगे मूल अधिनि कहा गया है) की धारा 3 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :--

"(2) आयोग में अल्पसंख्यकों में से एक अध्यक्ष, छः पुरुष सदस्य और दो महिला सदस्य होंगी।"

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

"(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे/करेंगी:

परन्तु यह कि अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।"

(ख) उपधारा (2) में शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जायेगा।

(ग) उपधारा (5) में शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष और सदस्यों" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष और सदस्यों" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों" रख दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 16 में, शब्द "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष या सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में खण्ड (क) में, शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष और सदस्यों" रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं अपवाद

8--(1) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2013

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने के लिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 4 की उपधारा (1) में क्रमशः यह व्यवस्था की गयी थी कि उक्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्यों से किया जायेगा और आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य एक वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे। सम्यक् विचारोपरान्त यह अनुभव किया गया कि उक्त प्रावधानों के अधीन गठित उक्त आयोग अल्पसंख्यक समुदायों के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अतः यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था कर दी जाय कि :--

(क) आयोग का गठन अल्पसंख्यक में से एक अध्यक्ष, छः पुरुष सदस्यों और दो महिला सदस्यों से किया जायेगा, और

(ख) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2013 को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2013) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1327(2)/LXXIX-V-1-13-1(Ka)-20-2013

Dated Lucknow, December 20, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Alpsankhyak Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 19, 2013.

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR MINORITIES (AMENDMENT) ACT, 2013

(U.P. ACT NO. 25 OF 2013)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Minorities (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 20, 2013.

Amendment of section 3 of U.P Act no. 22 of 1994

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(2) The Commission shall consist of a Chairman, six male members and two female Members from amongst minoritiy."

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act,-

(a) *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted,* namely :-

"(1) The Chairman and every Member shall hold office for a term of three years from the date he/she assumes office:

Provided that the Chairman and every Member shall hold office during the pleasure of the State Government."

(b) in sub-section (2) *for* the words "the Chairman, a Vice-Chairman" wherever occurring the words "the Chairman" shall be *substituted.*

(c) in sub-section (5) *for* the words "the Chairman, a Vice-Chairman or a member" the words "the Chairman and Members" shall be *substituted.*

Amendment of section 6

4. In section 6 of the principal Act *for* the words "the Chairman, a Vice-chairman, a Member" the words "the Chairman and Members" shall be *substituted.*